

स्वीकार नहीं है। याचों जिस मोटर सायकल पर यात्रा कर रहा था, उसके चालक द्वारा गलत व तेज तथा असावधानीपूर्वक मोटर सायकल चलाने के कारण वह अपना संतुलन सम्भाल नहीं सका और बस में टक्कर मार दिया, जिससे उक्त दुर्घटना घटी। दुर्घटना के समय बस चालक के पास वैद्य व प्रभावो वाक लाइसेंस नहीं था। याचों को निर्देश दिया जाये कि वह संलिप्त बस से सम्बन्धित सभी कागजात जैसे प्रथम सूचना रिपोर्ट, परीश्रुत, रीजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चालक लाइसेंस इत्यादि व मेडिकल सम्बन्धित सभी कागजात की स्पष्ट प्रतियाँ प्रतिलिखित करें, ताकि उनका सत्यापन कराया जा सके। याचों द्वारा मुकदमा चलाया जाने की दशा में यदि कोई क्षतिपूर्ति धनराशि की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी पर होती है, तो ब्याज अदा करने की जिम्मेदारी विपक्षी बीमा कम्पनी की नहीं होगी। यदि कतिपय कारणों से ब्याज देव भी हो तो ब्याज की राशि वर्तमान बैंक दर से प्रतिलिखित से अधिक नहीं होगी। वाहन स्वामी व चालक के प्रस्तुत वाद में उपस्थित नहीं होने की दशा में याचों से दूरभीसन्धी कर लेने की दशा में प्रतिवादी को धारा-178 स्प-सी सेक्ट के अन्तर्गत समुचित प्रतिवाद करने का अवसर दिया जाना परमिताक्षरों की धनराशि अत्यधिक मांगी गयी है। वाद-पत्र में प्रतिवादी की धनराशि के सम्बन्ध में कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और न ही वाद-पत्र प्रस्तुत करने का कोई आधार ही याचों को प्राप्त है। अतः याचिका उसके विरुद्ध निरस्त किया जाय।

7. विपक्षी संख्या-4 धनुषधारी वादव को और से कोई प्रतिवाद-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद लिखू विवरित किये गये हैं:-

1. क्या दिनांक 20.08.2007 को समय 8.30 बजे सुबह याचों विपक्षी निम्न हीरोही मोटर सायकल संख्या-63 एस-0021 पर बैठकर वाराणसी की ओर जा रहे थे, कि स्कूल बस वाहन संख्या यू-पी-65ए-एम-8733 के वाहन में तैयारी व लापसाहो से चलते हुए आकर भारतीय पीएल प्रवर्द्धता पुलिस पीसीओ के पास उक्त वाहन मोटर सायकल में धाना-बोलापुर जिला-वाराणसी में टक्कर मार दिया जिसके परिणाम स्वरूप याचों गम्भीर रूप से घायल हो गये।
2. क्या प्रानगत वाहन दुर्घटना के समय विपक्षी सं03 की ऑरिण्टल इन्वैस्टमेंट्स कम्पनी लि0 के वकील बीमा कां0
3. क्या दुर्घटना के समय प्रानगत वाहन का चालक वैद्य व



REDMI NOTE 6 PRO MI DUAL CAMERA

प्रभाषी अनुज्ञाप्यकारी बालक द्वारा किया जा रहा था, यदि हाँ तो प्रभाव)

4° क्या वाद में फ़कारों के अंशयोजन का दावा है।

5° क्या याची प्रतिकर पाने का अधिकारी है, यदि हाँ तो कितना व किससे।

9° अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में याची की ओर से सूची 7ग से विक एफ.आई.आर. की छाया प्रति कागज संख्या-8ग, मेडिकल रिपोर्ट की छाया प्रति कागज संख्या-9ग, सूची पत्र 49ग से आरोप-पत्र की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या-50क, सूचीपत्र 30ग से दवा ड्रग की स्वीदे, चिकित्सीय पर्ची, मेडिकल रिपोर्ट की कार्बन प्रति, जॉय रिपोर्ट, केस समरी व विक एफ.आई.आर. की कार्बन प्रति कागज संख्या-31ग/1 लगायत 31ग/102 व सूचीपत्र 54ग से दवा ड्रग की स्वीदे कागज संख्या-55ग/4 व सूचीपत्र 75ग से चालन अनुज्ञाप्य कागज संख्या-76ग लगायत 62ग दाखिल किया गया है।


10° विपक्षी संख्या-3 दो ओरिजिनल इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची 21ग से सत्यापित बीमा पालिसी कागज संख्या-22ग/1, सत्यापन डी.एल. कागज संख्या-22ग/2 व 3, सत्यापन वैधियन कागज संख्या-22ग/4 व 5 व सूचीपत्र 70ग से नक्शा नजरी की सत्यापित प्रतिलिपि कागज संख्या-71ग दाखिल किया गया है।

11° विपक्षी संख्या-5 दि न्यू इण्डिया इश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य में सूची पत्र 45ग से सत्यापन आडवा परीमिट कागज संख्या-46ग व सूचीपत्र 73ग से बीमा पालिसी की छाया प्रतिलिपि कागज संख्या-74ग/व सूचीपत्र 78ग से बीमा पालिसी की छाया प्रति कागज संख्या-79ग/1 व सत्यापन आडवा चालन अनुज्ञाप्य कागज संख्या-79ग/2 दाखिल किया गया है।

12° याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0-1 शिवधनी मिश्रा, पी0डब्लू0-2 कृष्ण कुमार मिश्र उर्फ लालधर व पी0डब्लू0-3 अनिल कुमार मिश्रा को परीक्षित कराया गया है।

13° विपक्षीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

14° मैं याची के विधान अधिकारता एवं विपक्षीगण के विधान अधिकारता को ब्रह्म लोको को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य का सम्यक अध्ययन, अवलोकन व परीक्षण



8/5/4

विषय।

निःसर्क

वाद बिन्दु संख्या-1

15. वाद बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध में घाघी का घाघिका में कथन है, कि दिनांक 20-08-07 को घाघी जब विपक्षी कृष्ण कुमार उर्फ लक्ष्मण मिश्र द्वारा नियंत्रित गति से चलाई जा रही हीरोहोण्डा मोटर सायकिल संख्या यू.पी-65एस/0021 पर पीछे बैठ कर वाराणसी की ओर गन्नापुर जाप कराने हेतु ग्राम लक्ष्मणपुर थाना विावपुर जिला वाराणसी जा रहा था, कि समय करीब सुबह 8-30 बजे जब वह झौला चौका मुर्दहा पुलिस चौकी के पास पहुँचा, कि तभी विपक्षी संख्या-1 श्रीमती नीलम सिंह की स्कूल बस संख्या यू.पी-65ए.एच./8733 जो वाराणसी की तरफ से आ रही थी, बालक तेज व उपेक्षापूर्ण तरीके से बस चलाते हुए अपनी दिशा से ब्रिक्केरी डिवाय में आकर घाघी के वाहन में टक्कर मार दिया, जिससे मोटर सायकिल पर पीछे बैठे घाघी गम्भीर रूप से घायल हो गया। विपक्षी संख्या-1 श्रीमती नीलम सिंह ने अपने प्रतिवाद-पत्र कागज संख्या-23 के सामान्य अभिकथन में घाघिका के अधिकांश धाराओं की जानकारी न होने का कथन किया है तथा कुछ धाराओं से इनकार किया है तथा अतिरिक्त कथन की धारा-23 में यह कहा गया है, कि घाघी ने बिलकुल असत्य कथन के आधार पर प्रार्थना-पत्र दाखिल अदास्त किया है, जिससे विपक्षी को पूर्णतया इनकार है तथा धारा-27 में यह भी कहा है, कि तथाकीधत घटना दिनांक 20-8-07 को प्रदर्शित है, लेकिन प्रार्थना सूचना रिपोर्ट काफ़ी दिनांक से दिनांक 07-09-07 को सुनियोजित ढंग से तहरीर करायी गयी है, जो गलत व विधि सम्मत नहीं है तथा विपक्षी संख्या-2 कृष्ण कुमार मिश्र ने अपने प्रतिवाद-पत्र कागज संख्या-19 के सामान्य अभिकथन में घाघिका की सभी धाराओं से इनकार न होने का कथन किया है तथा अतिरिक्त कथन की धारा-21 में कहा है, कि दुर्घटना के समय विपक्षी संख्या-2 अपनी मोटर सायकिल हीरोहोण्डा सी-डो-100 वाहन संख्या यू.पी-65एस/0021 को बहुत सावधानी पूर्वक धीरी गति से चला रहा था तथा दुर्घटना कारित होने में विपक्षी संख्या-2 की कोई गलती नहीं है। इस प्रकार विपक्षी संख्या-2 ने दुर्घटना को स्वीकार किया है। अतः विपक्षी संख्या-1 द्वारा प्रतिवाद-पत्र में दुर्घटना इनकार किये जाने के दृष्टिकोण घाघी द्वारा प्रस्तुत मौखिक सक्षय का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

16. बतौर पीठबन्धु-1 घाघी विरुद्धने किया ने अपनी कृत परी



REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

कागज संख्या-333/2 ता 9 में याचिका में किये गये कथन का समर्थन किया है तथा फिर में पेज-10 पर विपक्षी संख्या-1 व 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछे जाने पर यह बताया है, कि वह अपने बाएं तरफ से कुछ हट कर चल रहा था, जिस गाड़ी पर मैं बैठा था, उसकी गति 25 से 30 किलोमीटर रही होगी। घटनास्थल पर वृकान लुली हुई थी, लोग आ जा रहे थे, काफी भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं थी। मैं जिस गाड़ी पर बैठा था, वह मेरे पदोदर की है। मैं हीरोहीण्डा गाड़ी पर बैठा हुआ था तथा विपक्षी संख्या-5 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछे जाने पर बताया है, कि मैं हीरोहीण्डा मोटर साइकिल से कृष्णा कुमार उर्फ बालधर मिश्रा के साथ जा रहा था। दुर्घटना में उनकी भी थोड़ा बहुत चोट आयी थी, मैं गिर गया था। दुर्घटना का रिकॉर्ड करने वाली बस मेरे सामने से आ रही थी। मैंने दुर्घटना के एक-दो मिनट पहले बस को देखा जिस सामने से बस आ रही थी, उस समय बस की गति की नहीं बता सकता। मेरी बाईक अपनी पटरी से चल रही थी, वह दुर्घटना पूर्ण पुलिस के दो-दाईं बायां पहले हुई थी। यह कहना गलत है, कि बाईक चालक की गलती तथा पटरी के दाहिने तरफ चलने के कारण यह दुर्घटना हुई। इस प्रकार याची ने अपनी मौखिक साक्ष्य में दुर्घटना बस चालक की लापरवाही से दृष्टि होने का कथन किया है। याची के दूसरे मौखिक साक्षी पी० डब्ल्यू०-2 साक्षी कृष्णा कुमार ने भी अपनी मौखिक साक्ष्य कागज संख्या-39 का मुख्य परीक्षा/कागज-पत्र में याचिका में किये गये कथन का समर्थन किया है तथा फिर में विपक्षी संख्या-5 दि न्यू इण्डिया इन्सुरेंस कंपनी लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूछे जाने पर बताया है, कि "दुर्घटना के समय मेरी मोटर साइकिल की गति 25 से 30 किलोमीटर रही होगी। मैं अपनी चलती मोटर साइकिल से अंदाज लगाया कि दुर्घटना में शामिल बस की गति 60 से 70 किलोमीटर रही होगी। बस भी अपने बाएं से चल रही थी। ऐसा नहीं है, कि मैं अपने दाहिने तरफ अपना धूम गया और दुर्घटना हो गई। यह कहना गलत है, कि बस चालक की कोई गलती नहीं थी। इस प्रकार इस साक्षी ने अपनी बात कही है, कि बस भी अपने बाएं से चल रही थी तथा दुर्घटना बस चालक की गलती से हुई। याची की तरफ से परीक्षित दोसरे साक्षी पी० डब्ल्यू०-3 अनिल कुमार मिश्रा ने अपनी मुख्य परीक्षा

